(77)

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, कैम्प रीवा जिला रीवा म0प्र0

R- 3157- I/12

1- रामनिवास तनय परमेश्वर उम्र 70 साल

2- देवदत्त तनय परमेश्वर उम्र 65 साल

3- रामजीवन तनय परमेश्वर उम्र 45 साल

4- ददई तनय अकाली उम्र 30 साल

5- ललवा तनय अकाली उम्र 45 साल

6- इन्द्रभान तनय ददिया उम्र 40 साल

7- बृजभान तनय ददिया उम्र 35 साल

8- बृजमोहन तनय उम्र साल

सभी निवासी ग्राम करौंदिया तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी म0प्र0 ---------- आवेदकगण

बनाम,

1- सुखदेव तनय अकाली उम्र 60 साल पेशा खेती सा0 करौंदिया तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी म0प्र0

2- म0प्र0शासन ---------- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय प्रभारी सर्किल हनुमानगढ़ तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी म0प्र0 प्रकरण क्रमांक- 57/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30.6.12,

निगरानी अन्तरगत धारा 50 म0प्र0भू रा0सं0 1959

...2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.3157–I/12 जिला–सीधी

रामनिवास/ सुखदेव

(1)	(2)	(3)
18.07.17	1. आवेदक अधिवक्ता श्री रवि पाण्डेय एड0 द्वारा तहसीलदार, प्रभारी सर्किल हनुमानगढ़, तहसील रामपुरनैकिन, जिला सीधी के प्रकरण क्र0 57/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.06.12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–रा0 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है। 2. आवेदक अधिवक्ता का तर्क है, कि आवेदकगण स्व0 परमेश्वर, स्व0 अकाली तथा स्व0 ददिया के वंशज है। इनकी पैत्रिक सम्पत्तियों पे 1/2, 1/2 का भाग एवं स्वत्व व हिस्सा है। आवेदक द्वारा अपने तर्क में कहा है, कि अनावेदक क्र0 1 ,4 एव 5 का सगा भाई है। तथा अन्य आवेदकगण चचेरे भाई है। विगत बन्दोवस्त वर्ष 1996–97 में कपटपूर्वक राजस्व निरीक्षक साठ–गाठ कर परिवर्तन पंजी के माध्यम से भूमि खसरा क्र0 183, 184, 198, 200, 203, 206, 212 तथा 732 कुल किता 8 स्थित ग्राम करौदिय, तह0 रामपुरनैकिन भूमियों का पट्टा नामांतरण अपने नाम करा लिया था। जिसकी जानकारी किसी आवेदकगण को नहीं हुई। उनके द्वारा अन्त में कहा गया है, कि आदेश की जानकारी सीमांकन कराते समय प्राप्त हुई। अनावेदक द्वारा सीमांकन कराने के समय पड़ौसी कास्तकारों को सूचना नहीं दी। अन्त में उनके द्वारा निवेदन किया गया है, कि आवेदक	

की निगरानी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त का अनुरोध किया है।

3. आवेदकगण अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा उन्ही तथ्यों को दौहराया गया है, जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

4. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है, कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष अपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। जो उनके द्वारा दिनांक 30.06.12 को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। दिनांक 20.05.12 के सूचना पत्र से स्पष्ट है, कि सभी पड़ौसी कास्तकारों एवं वरिष्ठ व्यक्तियों के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ के निशान है। जिससे प्रतीत होता है, कि तहसीलदार, प्रभारी सर्किल हनुमानगढ़, तहसील रामपुरनैकिन, जिला सीधी के प्रकरण क्र0 57/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.06.12 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राहय की जाती है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य